जिज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

2021/56

श्री मोहम्मद इकबाल श्री

धीरी बाई बनाम अच्छलकंवर वगैरह (56 / 2021)

21.2.23 पत्रावली वास्ते आदेश अपील प्रस्तुत की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 55 को दिनांक 14.02.2023 को प्राथमिक आपत्ति बाबत् अपील संधारण योग्य नही एवं अपील पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जो विभिन्न खसरा नम्बरान से कुल 25 किरता कुल रकबा 17–01–00 बीघा है, उपरोक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार लक्ष्मीनाथ पुत्र देवीनाथ थे जिनकी मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 04.11.1980 को तस्दीक किया गया जिसमें से जवाहर नाथ, कानानाथ, हजारीनाथ के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलांट लक्ष्मीनाथ की जायन्दा पुत्री है जिसका पारिवारिक सजरा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उक्त आराजी में से अपीलांट का 1/4 हिस्सा निहित करता है जिसके वाद उद्घोषणा खातेदारी प्रस्तुत किया गया। साथ ही अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया और अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने की प्रार्थना की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने द्वारा साईक्लोस्टाईल आदेश पारित करते हुए बिना अपीलांट की बहस दर्ज किये नोटिस जारी कर तारीख पेशी दिनांक 27.08.2012 नियम कर दी है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आराजीयात में अपीलांट का 1/4 हिस्सा लक्ष्मीनाथ पुत्र देवीनाथी की जायन्दा पुत्री होने के नाते निहित है परन्तु लक्ष्मीनाथ की मृत्यु के पश्चात् दर्ज किये गये नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 04.11.1980 में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं कर भाईयों ने अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवा लिया और भूमि को खुर्द–बुर्द कर रहे है ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास भूमि में अपने अधिकारो को सुरक्षित रखने के लिए उद्घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्य शेष नही रहता है।अपीलांट अपनी आराजीयात पर शांतिपूर्ण रूप से काबिज काश्त है परन्तु रेस्पोडेन्टस अपीलांट को उसकी भूमि का उपयोग उपभोग करने से रोकते है, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपीलांट के अधिकारों की रक्षा किए बिना आदेश जारी कर दिया है। आर.बी.जे. 1994 पेज 24 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ प्रकरण को सुनवाई के लिए संस्थित कर लिया गया हैतो यथास्थिति का आदेश देना आवश्यक है परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय के इस आदेश के विपरीत जाते हुए जो दिनांक 11.07.2012 को जो आदेश पारित किया गया है वह विधि सम्मत नहीं है।मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2012 में संशोधन करते हुए मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला वाद बनाये रखने तथा विवादित आराजी को रहन,बय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख	20/1/56
पेशी	श्री

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 55 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण दर्ज आदेशिका दिनांक 05.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। वर्तमान अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश की अपील निस्तारण की श्रेणी में नही आता है जिसके विरूद्ध प्रकरण मान्नीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नही होने से इसी आधार पर काबिज निरस्त किए जाने योग्य है। विधि का यह सिद्धान्त है कि जहॉ चुनोतिधीन आदेश नहीं हो वहॉ उसी आदेश के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नही है, उक्त विधिक स्थिति को नजर अंदाज कर अपीलांट द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्त योग्य है। मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित जैसा 2014 आर.आर.डी. पेज 345 (फुल बैंच) के तहत् उक्त अपील संधारण योग्य नही है। अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नही होने से खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 55 ने अपने समर्थन में 2016 आर.आर.डी. पेज 654 "सरदारसिंह बनाम ब्रदीबाई" 2016 आर.आर.डी. पेज 659 "बदाम कंवर बनाम दुर्गा बाई", 2015 डी. एन.जे. (1)पेज 35, 2007 एस.सी.सी.(1)पेज 175, 2003 एस.सी.सी. (6)पेज 675 के न्यायिक दृष्टांत कों हवाला दिया।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अजमेर के आदेश दिनांक 05.07.2012 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा दिनांक 05.07.2012को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अप्रार्थीगण को जारी नोटिस लौटकर आने से पूर्व ही अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी। प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के बाबत् पैराजोही करना चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं कर, कर सीधे ही न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना–पत्र में शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु प्रार्थी/अपीलांट से नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से प्राप्त कर, शेष अप्रार्थीगण (पक्षकारों) की रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस से तामिल करवाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रार्थना पत्र में शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु प्रार्थी/अपीलांट से नोटिस रजिस्टर्ड एड़ी से प्राप्त कर, पक्षकारों की रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस से तामिल करवाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें। अभिभाषक उभयपक्ष अधीनस्थ

Scanned with CamScanner

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

2021/56

श्री ... श्री ...

न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.03.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें।

प्रकरण का निस्तारण किये जाने से अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 55 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति अपील संधारण योग्य नहीं होने, सारहीन हो चुका है। प्राथमिक-आपत्ति बाबत् अपील संधारण योग्य नही खारिज किया जाता है।पत्रावली फैसलशुगार होकर नम्बर से कम हों।

Scanned with CamScanner